लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3464
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट मिलों का बंद होना

3464. श्री तारिक अनवर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान बिहार में जूट मिलों के बंद होने के कारण समाप्त होने वाली नौकरियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार इन मिलों को पुनः खोलकर और उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके नौकरियां बहाल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या कटिहार स्थित आरबीएचएम जूट मिल को उपस्करों के उन्नयन न होने और मशीनों के नवीकरण के अभाव में बंद कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): बिहार में, एक बंद सरकारी पटसन मिल नामत: आरबीएचएम पटसन मिल सहित 4 पटसन मिलें हैं। 4 पटसन मिलों में से, 2 पटसन मिलों को अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार जूट बैगों का उत्पादन-सह-नियंत्रण आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) सरकार से मिलता है और शेष एक मिल केवल पटसन के विविध उत्पाद तैयार करती है।

(ग): आरबीएचएम पटसन मिल में लगातार हानि के कारण औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने वर्ष 2011 में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से जॉब वर्क अनुबंध के साथ मिलों के पुनर्जीवन योजना को अनुमोदन दिया। तदनुसार, आरबीएचएम के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था। तथापि लक्षित उत्पादन को प्राप्त नहीं किया जा सका और अन्ततः अक्टूबर 2018 में सरकार ने मिल को बंद करने की स्वीकृति दी।

****